

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी—

रामरतन सौंकरिया

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

65 / 2024 / प्रा.पत्र / 2024

04.09.2024

08.04.2025

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण,
टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1—श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन निवासी ईमानुएल स्कूल के पास बस स्टैण्ड
टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ./विक्रेता मैसर्स रतन लाल प्रकाश चन्द जैन घण्टाघर के पास
टोंक जिला टोंक राज. पिनकोड—304001 मोबाईल नं. 9252279950।

2—श्री रतन लाल जैन पुत्र श्री माणक लाल जैन निवासी ईमानुएल स्कूल के पास बस स्टैण्ड
टोंक जिला टोंक प्रोपरायटर/मालिक मैसर्स रतन लाल प्रकाश चन्द जैन घण्टाघर के पास
टोंक जिला टोंक राज. पिनकोड—304001 मोबाईल नं. 9252279950।

3—मैसर्स रतन लाल प्रकाश चन्द जैन घण्टाघर के पास टोंक जिला टोंक राज.।
पिनकोड—304001

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)
की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—अप्रार्थी श्री संजय कुमार जैन स्वयं उपस्थित।

:-निर्णय:-

दिनांक 08/4/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी
दिनांक 18.03.2024 को समय 02:30 पी.एम. पर मैसर्स रतन लाल प्रकाश चन्द जैन घण्टाघर
के पास टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से
श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स रतन लाल प्रकाश चन्द
जैन घण्टाघर के पास टोंक जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ गुड़, तेल, घी, मसाले व अन्य खाद्य
पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन
को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री रतन
लाल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ./विक्रेता होना स्वीकार किया तथा मौके पर
खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र दिखाकर श्री रतनलाल जैन को उक्त फर्म का प्रोपरायटर होना
बताया।



AdL
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड, तेल, घी व मसालों के साथ-साथ दुकान की रैंक में लगभग 10 मूल पैकड अवस्था में प्रत्येक नग 250-250 ग्राम पैक काजू नट्स (राशि ब्राण्ड) रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन को गवाह के सामने फार्म नं० 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री संजय कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह काजू नट्स (राशि ब्राण्ड) वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, दुकान की रैंक में लगभग 10 पैकेट मूल पैकड अवस्था में प्रत्येक 250-250 ग्राम पैक काजू नट्स (राशि ब्राण्ड) के बैच नम्बर 23 पैकिंग की दिनांक जनवरी 2024 थी, को ज्यों का त्यों 4 मूल पैक पैकड अवस्था काजू नट्स (राशि ब्राण्ड) वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 4 पैक पैकड अवस्था 250-250 ग्राम पैक के काजू नट्स (राशि ब्राण्ड) को ज्यों का त्यों अलग-अलग कागज के गत्ते के 4 डिब्बों में रखकर डिब्बों के ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4007 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-4007नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन निवासी ईमानुएल स्कूल के पास बस स्टैण्ड टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स रतन लाल प्रकाश चन्द जैन घण्टाघर के पास टोंक जिला टोंकने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/414 दिनांक 09.04.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/866/एक्ट/2024/1049 दिनांक 26.03.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया काजू नट्स (राशि ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011के अनुसार अवमानक(Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।



Adl
भारतीय जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री संजय कुमार जैन उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिसकाजू नट्स(राशि ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है, उक्त काजू नट्स(राशि ब्राण्ड) जांच में अवमानक(Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया काजू नट्स (राशि ब्राण्ड) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रुपये 5,000/- (अक्षरे पांच हजार रुपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/11/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



ACL
(रामरतन साँकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
टोंक
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0